अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 14/2020(RCMS No. 2020/00302) अनवान् माणकचंद पुत्र स्व. श्री चौथमल जाति डागा, आयु 86 वर्ष निवासी वार्ड नं. 31, नया कस्बा सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> अशोक कुमार पुत्र माणकचंद जाति डागा निवासी वार्ड नं. 31, नया कस्बा सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.04.2021

अपीलार्थी माणकचंद पुत्र स्व. श्री चौथमल एवं रेस्पोडेंट श्री अशोक कुमार आज उपस्थित है। अपीलार्थी माणकचंद आज न्यायालय में उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि इस प्रकरण में पक्षकारण का आपस में राजीनामा हो चुका है और प्रार्थी अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, इसलिए इस प्रकरण को दाख़िल दफ्तर कर दिया जावे। प्रार्थी की पहचान श्री एम.पी.गुप्ता, अधिवक्ता द्वारा की गई है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील प्रार्थी माणकचद द्वारा अपने पुत्र अशोक कुमार के विरूद्ध यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 07.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने निर्णय दिनांक 07.12.2020 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया था।

चूंकि अपीलार्थी अब राजीनामा के कारण इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए इस प्रकरण में इसी आधार पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर